

LOK SABHA

Tuesday, April 11, 1972/
Chaltra 22, 1894(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Complaints regarding General Elections
in States

+

*34I SHRI JYOTIRMOY BOSU
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state

(a) the total number of complaints received by Election Commissioner and the Chief Electoral Officers in the States regarding the recent General Elections to the Delhi Metropolitan Council and Legislative Assemblies and bye elections in U P, and

(b) the nature of complaints received and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY)

(a) 1433 complaints were received by the Election Commission and 546 by the Chief Electoral Officers of the State of Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mysore, Punjab and Tripura and of the Union territories of Delhi and Goa, Daman and Diu. The particulars of complaints called for from the Chief Electoral Officers of the States of Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Rajasthan and West Bengal have not yet been received and are awaited.

(b) A statement containing the nature of complaints is laid on the Table of the House. Wherever the complaints contained specific allegations, they were immediately brought to the notice of the authorities concerned for appropriate action.

STATEMENT

Statement containing the nature of complaints regarding the recent General Elections to the Delhi Metropolitan Council and Legislative Assemblies and bye-election in Uttar Pradesh

Nature of complaints	Received by Commission	Received by C E O's
Omission of names and inclusion of bogus names in the electoral rolls ..	150	—
Transfer of officers on the eve of elections ...	38	3
Participation by Government employees in elections ..	270	176
Misuse of Government machinery ..	59	160
Partisan attitude of Government officers employed on election duty. ...	36	34
Printing and publishing objectionable posters, pamphlets etc ...	11	—
Intimidation and coercion of voters at polling stations ...	70	47
Impersonation by voters. ...	30	1
Disturbance at public meetings and maintenance of law and order. ...	419	66
Complaints of other miscellaneous character ...	350	59
	1433	546

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The statement is a gross understatement of what has happened. In West Bengal, out of 280 assembly constituencies, in 200 there was outright rigging and violence. There is no reflection of it in the statement. We can produce before you hundreds of ballot papers which we have collected from the roadside and various other places like polling stations and below mattresses. The hon. Minister has not only made a gross understatement; he has even evaded answering the question. In (b), I had asked about the action taken thereon. Since there is no provision in the Representation of the People Act to remedy such things as taking over of booths through violent methods, capturing booths, making polling agents sign letters saying that everything was done peacefully and tying down polling officers to sign papers at the point of the gun—it was done in J. & K. Tripura, Bengal and many other parts of the country—what specific action does the hon. Minister propose to take to make elections look fair before the people of the country ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Some of the matters were before the Joint Committee which was considering amendments to the election laws. They have dealt with them and their report is before the House. An appropriate Bill will be moved after due consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is clear from the Minister's statement that in the existing laws there are enough loopholes and the ruling party is taking fullest advantage of them. Will Government agree to constitute a parliamentary commission to inquire into all the allegations that have come from parties and individuals in regard to the last poll ? If not, why not ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Government do not find any justification for appointment of such a commission.

श्री शिव कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस के पहले कि मैं मंत्री महोदय से प्रश्न करूँ, मैं अपनी एक कठिनाई आप के सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर धीरे इस के साथ भी बरतकर दिया गया है, उन को देखने

के लिए जब आज मैं नोटिस आफिस में गया, तो वे हिन्दी में नहीं थे। आप के संरक्षण में हिन्दी के विषय में इस तरह की कठिनाई अनुभव की जा रही है। पहले वह परम्परा थी कि हिन्दी में पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर हिन्दी जानने वाले मंत्री हिन्दी में ही देते थे, जब कि अब अंग्रेजी में दिया जाता है। जब इस बारे में एक बार आप से शिकायत की गई, तो आप ने कहा कि सदन में बंध लगे हुए हैं, उन से हिन्दी रूपान्तर सुना जा सकता है। यह बात अंग्रेजी वालों के लिए भी हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि “हमने माना कि तगापुल न करोगे, लेकिन। साक हो जायेंगे हम तुम को खबर होने तक।”

अध्यक्ष महोदय : इस की किसी भी ओर मीके के लिए छोड़ दीजिए।

श्री शिवकुमार शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि चुनाव सम्बन्धी विनियमितताओं का जिक्र अभी माननीय सदस्य, श्री ज्योतिर्मय बसु, ने किया है, क्या इस चुनाव से पहले चुनाव में उन की पार्टी के विषय में भी इस प्रकार की शिकायतें सरकारको प्राप्त हुई थीं। जहाँ तक चुनाव आयोग द्वारा मत देने की प्रणाली में सुधार करने का प्रश्न है, जो नया सुधार हुआ है, उस से धीरे बिगाड़ हुआ है। मत देने समय काउंटर फाबल पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं। इस से तो कोई मत गुप्त नहीं रहेगा और हर एक व्यक्ति निर्भीकता से मतदान नहीं कर पायेगा। क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में है; यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री नीतिराज सिंह चौबरी : माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि उन्हें हिन्दी में उत्तर नहीं मिला है। यह प्रश्न इंग्लिश में पूछा गया है, हिन्दी में नहीं। इस लिए इस का उत्तर इंग्लिश में दिया गया है।

श्री शिव कुमार झाएत्री इस प्रश्न में मेरा नाम जो जोड़ा गया है और मैंने हिन्दी में प्रश्न दिया था।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, श्री बसु की पार्टी की बाबत भी इस प्रकार की शिकायतें आई थी। काउन्टर-फायल पर हस्ताक्षर करने या अ गूठे का निशान लगाने से मतदान की गुप्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उस पर जो नम्बर होता है, वह किसी को मालूम नहीं होता है— उस का सील रखा जाना है।

श्री घटन बिहारी बाजपेयी मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है। यदि चुनाव के सम्बन्ध में जनता के मन में सन्देह पैदा होते हैं, तो उतनी मात्रा में लोकतंत्र को आबात लगता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिहार में पोलिंग बूथ्स पर कब्जा करने की जो प्रक्रिया हुई, क्या उस का इलाज इलेक्शन पेटीशन दायर कर के किया जा सकता है। सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में इस बार बड़े पैमाने पर पोलिंग बूथ्स पर कब्जा किया गया, मतदाताओं को मत देने के लिए जाने से रोका गया और जबर्दस्ती मत डाले गए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस का इलाज क्या है।

मेरे पास ये जम्मु के मतपत्र हैं। एक पोलिंग आफिसर रात में इन मतपत्रों पर मुहर लगा रहा था। जनता ने उस को पकड़ा और मतपत्र छीने। इन मतपत्रों का हिसाब कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय . यह इलेक्शन पेटीशन का सबजेक्ट हो सकता है।

श्री अलट बिहारी बाजपेयी . हर एक बात इलेक्शन पेटीशन में नहीं आ सकती है। वही तो सुनिश्चल है।

अध्यक्ष महोदय यह बड़ी थिन लाइन है। जो इलेक्शन पेटीशन का सबजेक्ट हो सकता है, उस को इस हाउस में न पूछा जाए।

श्री अलट बिहारी बाजपेयी अध्यक्ष महोदय, अगर दो चार जगहों के विषय में ऐसी शिकायतें हो, तो इलेक्शन पेटीशन की जा सकती हैं। लेकिन चूँकि बड़े पैमाने पर ये अनियमितताएँ होने की शिकायतें मिली हैं, इस लिए उन अनियमितताओं के विषय में जांच करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये शिकायतें केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। जहाँ ये शिकायतें नहीं आई हैं, उन को छोड़ दिया जाये। लेकिन जहाँ से शिकायतें आई हैं, उन के बारे में जांच करने के लिए अगर सरकार कोई पालियामेन्टरी कमीशन नहीं बिठाना चाहती है, तो क्या वह कोई इ डिपेंडेंट कमीशन बिठाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी पोलिंग बूथ के विषय पर एक इलेक्शन पेटीशन हुआ है और यह प्रूब हो जाने पर कि आतक और भय दिखा कर वोट डालने से रोका गया, इस बिना पर चुनाव को रद्द किया गया है।

श्री अलट बिहारी बाजपेयी कितने सास बाद ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी उस की तो एक प्रक्रिया है उस पर जितना समय लगता है, वह लगता है।

जहाँ तक जम्मु का प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ये मतपत्र कहाँ से लाये हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बारे में जांच करना चाहेंगे कि क्या वे जम्मी बैलट पेपर हैं या सबमूब मतपत्र हैं। (अध्यक्ष) इस का सारा हिसाब किया जा चुका है। कोई कमीशन बिठाने का सबाल नहीं उठना है, क्योंकि यह विषय ज़ायद क्रिमेडी के सम्बन्ध में है। सब सदस्य

ने वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी हैं। उन पर विचार होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट आयेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट से इस का क्या मतलब है? रिपोर्ट तो अलग है, परिणाम अलग प्राप्त हैं। ..(व्यवधान).. रिपोर्ट से चुनाव में जो घाँघलियाँ हुई हैं वह कैसे ठीक हो सकती हैं? रिपोर्ट तो भविष्य में चुनाव कानून में संशोधन करने के बारे में है। मुझे ताज़्जुब है कि विधि मंत्री महोदय रिपोर्ट का हवाला दे कर सारे सबालों को गोल करना चाहते हैं।

श्री राम सहय पांडे: मैं जानना चाहता हूँ क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस और भी आकर्षित किया गया है चुनाव प्रचार के सन्दर्भ में ऐसे भद्दे अवलील नारे लगाए जाते हैं कि जिस में चरित्र की हत्या और हनन होता है? सम्मता से दूर हो कर ऐसे गन्दे नारे लगाए जाते हैं जिस से जन-मानस पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: ऐसी भी शिकायतें आई हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह सबाल तो नम्बर आफ कम्प्लेंट्स का है। यह एलेक्शन के बारे में जनर क्वेश्चन नहीं है। ..(व्यवधान)..

PROF. MADAU DANDAVATE: Just now the hon. Minister said that there were some allegations regarding the capture of booths against the Communist Party (Marxist). My question is whether it is the CPM or the Congress Party or the Socialist Party, irrespective of any political party which is involved, are they prepared to go in for a comprehensive enquiry regarding all such allegations?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: There were allegations of seizure of booths during the last mid-term poll. Thereafter adequate steps were taken to see that such

seizures were not repeated.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Even then they were repeated.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Why are you not allowing a parliamentary commission to enquire into this serious allegation?

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: After the recent elections, how many complaints have been lodged in different courts, particularly from West Bengal?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Figures from West Bengal have not yet reached us. Therefore I cannot give that information.

अध्यक्ष महोदय: अब तो ऐलेक्शन खत्म हो गया है, अब तो शांति रखिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: शांति तो है ही। आप सबाल तो पूछने दीजिए।

MR. SPEAKER: Next question.

श्री हुकम चन्द कछवाय: अध्यक्ष महोदय, मैं ने इस के ऊपर क्वेश्चन दिया था। .. आप अपने कगज तलाश कीजिए, मैं ने नोटिस दिया था आप ने कहा था कि मैं इस सबाल को फिर स्वीकार करूँगा। शो मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। मैं ने नोटिस दिया। आप ने सभा में घोषणा की कि यह अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस के बारे में बाद में नोटिस देंगे तो स्वीकार करेंगे ..

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी ने दिया था, उन को मौका मिल गया।

श्री के एच बाबड़ा: मैं खड़ा हुआ तो आप आप ने कहा कि अभी दूसरा नाम है। तो मुझे भी दाखिल मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: स्पीकर की इतिदृशन फिर क्या हुई अगर आप खड़े हुए और लड़े होने से ही आप का हक हो गया।

श्री हुकम चन्द कच्छबाय: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरा नाम उष में था। आप देख लीजिए मुझे मौका दीजिए सबान पूछने का।

MR. SPEAKER: No, I am not allowing.

Indian Industrial Exhibition at Lagos

*342. SHRI JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether an Indian Industrial Exhibition was held recently at Lagos, Nigeria;

(b) what were its special features; and

(c) whether Government are contemplating to hold such exhibitions elsewhere this year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir. The Exhibition was held at Lagos during March 2—22, 1972.

(b) The Exhibition projected India's export potential and the vast strides made in the industrial field since independence.

(c) Yes, Sir. Exclusive Indian Exhibitions are proposed to be organised during 1972-73 at Tanzania, Uganda, Singapore, Malaysia, Kuwait and Fiji.

SHRI JAGANNATH MISHRA: Normally Indian industrial exhibitions are organised in foreign countries to seek markets for Indian commodities and also to earn foreign exchange.

I would like to know from the Minister to what extent this exhibition in Lagos was able to fulfil this cherished desire?

SHRI A. C. GEORGE: As a result of this exhibition and the presence of the

representatives of various Indian firms engaged in the industrial sector, substantial business was booked on the spot for products like buses, truck, fire-trucks, jeeps, diamond rigs, diesel engines, duplicators, public address system, transistors, auto parts, electrical goods, sanitaryware, drugs, pharmaceuticals, jewellery, etc. The precise amount these orders will come to can be worked out only after some time. Right now, our own surmise is that it may come to Rs. 4 crores.

SHRI JAGANNATH MISHRA: It is very encouraging that the Ministry is going to organise so many exhibitions in foreign countries in 1972-73, which are the countries which are going to organise similar exhibitions here in our country in 1972-73.

SHRI A. C. GEORGE: This year we will be holding the the Third Asian Fair, and more than 41 countries have expressed their desire and willingness to participate in that Fair.

SHRI S. N. MISTRA: May I know what facilities are going to be offered to the traders and producers who want to go to foreign countries to participate in these exhibitions?

SHRI A. C. GEORGE: All facilities of travel, foreign exchange and other encouragements are given to *bona fide* exporters and traders.

Effect on India of the proposed Common European Currency

*343. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state the effect on India of the steps being taken by the European common Market countries to establish a Common European Currency?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): A proposal to establish a full monetary and Customs Union of the European Common Market countries by the end of the present decade was discussed by their Foreign and Finance Ministers in November 1970. But, so far an agreement appears